रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1994/ज्येष्ठ 20, 1916
No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1994/JYAISTHAA 20, 1916

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1994

सा.का.नि. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सदस्य के रूप में चयन किए जाने पर कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व अपनी सेवा से निवृत्त होना पड़ेगा।"

3. मूल नियम में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पद की अवधि:—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

4. मूल नियम में, नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"8क. आकस्मिक रिक्ति:—केन्द्रीय सरकार को, अध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति की दशा में, उपाध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के सदस्यों में किसी एक को अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।"

5. मूल नियम में, नियम 9 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की दशा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय हैं। अन्य मामलों में अध्यक्ष को प्रति मास 8,000 रु. (नियत) का वेतन और ऐसे अन्य भत्ते तथा प्रसुविधाएं दी जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार के वही वेतन और भत्ते वाले पद धारण कर रहे अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

[फा. सं. 12018/3/92-प्रशा.-I]

जी. वेंकटरमणन, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1994

G.S.R. 503(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of sub-Section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board Members (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the Principal Rules), after rule 3 the following rule shall be inserted namely :—

"3A. The Employees of the Central Government on their selection as Members shall have to retire from their service before joining as Member of the Company Law Board."

3. In the principal rules, for rule 8, the following shall be substituted namely :—

"8. Term of office of Chairman, Vice-chairman and Members :—Except as provided in rule 6 or 7, the chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years; the Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty two years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty years."

4. In the principal rules, after rule 8, the following shall be inserted, namely :—

"8A. Casual vacancy :—In case of a casual vacancy in the office of Chairman, the Central Government shall have the power to appoint

the Vice-Chairman or in his absence, one of the Members of the Board to officiate as Chairman."

5. In the principal rules, in rule 9, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman shall be paid salary and allowances as are admissible to a High Court Judge in case of sitting High Court Judges being appointed as Chairman. In other cases, the Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000/-(fixed) and other allowances and benefits as are admissible to Central Government officers holding posts carrying the same pay and allowances."

[F. No. A-12018/3/92-Admn. I]

G. VENKATARAMANAN, Additional Secretary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994